अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 14/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 378(अ).— आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी वित्तीय वर्ष 2023-24 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक की है, को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

No. 14/2024 – Central Tax

G.S.R. 378(E). — In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2023-24 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 15 /2024- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 379(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 52/2018- केंद्रीय कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 900(अ) तारीख 20 सितंबर,2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, "आधे प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "0.25 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्यांक 52/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि .900(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।